सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन - 2011-12

कार्य योजना - 2012-13

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	5–6
2	प्रस्तावना	7–8
3.	प्रशासनिक ढाँचा	9–12
4	वित्तीय वर्ष 2011–12 का बजट उदव्यय एवं 2012–13 का प्रस्तावित बजट उपबंध।	13–14
5.	कल्याणकारी योजनाएँ	15–39
6	वर्ष 2012–13 की कार्य योजना	40

रमई राम
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार

दूरभाष : 0612-2217355 (कार्यालय+फैक्स)
0612-2252125 (आ0)
मोबाईल : 9431800990

पत्रांक :......................   दिनांक :..........................

संदेश

संवेदनशील सरकार राज्य में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पारदर्शी रूप से भू–विवादों के त्वरित गति से निष्पादन एवं सक्रिय भूमि सुधार प्रबंधन हेतु कृत संकल्प है।

भूमि विवाद से संबंधित मसले के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन एक निश्चित समय–सीमा के अन्तगर्त वादों के निष्पादन के लिये उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भूमि से संबंधित वादों के कारण न्यायिक व्यवस्था के बढ़ते दबाव को देखते हुये वादों के तीव्र एवं सरल या सुलभ कार्यान्यवन के लिये बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 के अधीन **बिहार भूमि न्यायाधिकरण** का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार भूमि न्यायाधिकरण हेतु सेवानिवृत्त न्यायामूर्त्ति को अध्यक्ष के रूप में तथा एक सदस्य (प्रशासनिक) एवं एक सदस्य (न्यायिक) की नियुक्ति कर दी गयी है।

समाज के सबसे कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग यथा महादलित परिवारों वास भूमि रहित परिवारों के लिये गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम बी0पी0एच0टी0 ऐक्ट के तहत् बंदोबस्ती के साथ–साथ जहाँ इन स्त्रोतों से भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है वहाँ रैयती भूमि को क्रय कर वास भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है कि शिकायत निवारण की प्रक्रिया का त्यजन किये बिना एक निश्चित समय–सीमा के अन्तर्गत राज्य में भूमि का सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कराने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 लागू किया है। साथ ही बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल–खारिज एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य के विकास में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का हस्तांतरण एवं भू–अर्जन कर भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

मुझे विश्वास है कि सुशासन की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार की दिशा में उठाये गये कदमों से रैयत/नागरिक इत्यादि लाभान्वित होंगे। राजस्व प्रशासन हेतु जनता का सहयोग/भागीदारी अपेक्षित है।

(रमई राम)

प्रस्तावना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

गृह विहीन महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को गृह स्थल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना इस विभाग में चलायी जा रही है। भूमि की व्यवस्था कुल 4 स्रोतों से की जा रही हैं :–

(क) गैर मजरूआ मालिक / खास भूमि स्रोत से अबतक कुल 52846 महादलित परिवारों के साथ 1617.99 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती की गयी है।

(ख) गैर मजरूआ आम भूमि स्रोत से 24871 महादलित परिवारों के साथ 669.399 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती की जा चुकी है।

(ग) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत अधिनियम, 1947 के तहत प्रश्रय प्राप्त 39,668 महादलित परिवारों को 1106.801 एकड़ भूमि का पर्चा निर्गत किया जा चुका है।

(घ) जहाँ कहीं उपर्युक्त भूमि स्रोत उपलब्ध न हों वहाँ रैयती भूमि का क्रय किया जा रहा है। इस स्रोत से 26,479 महादलित परिवारों के बीच 794.37 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

1992 मे चकबंदी योजना के स्थगन के पूर्व 3466 राजस्व मौजे अनधिसूचित हुए थे। 2004 में चकबंदी योजना पुनः प्रारम्भ किए जाने के बाद 539 राजस्व मौजे अनधिसूचित किए जा चुके है।

वर्ष 2010–11 में दाखिल–खारिज के कुल 895685 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है तथा यह विषय बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में समाविष्ट है। इसी प्रकार 2010–11 में कुल 551759 भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किए गए। इसके अतिरिक्त 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक 510363 भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। यह विषय भी बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम से आच्छादित है।

राज्य में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत् भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय कार्यरत हो चुके हैं।

राज्य मे नियत अवधि में सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूरा करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से एक सशक्त वैधानिक आधार तैयार किया जा चुका है। ऐसी आशा की जाती है कि इसके क्रियान्वयन से राज्य में रैयतों के अधिकार–अभिलेखों के वैज्ञानिक विधि से संधारण करने में सहायता मिलेगी।

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

बिहार राज्य एक नजर में

1. प्रमंडलों की संख्या	—	9
2. जिलों की संख्या	—	38
3. अनुमंडलों की संख्या	—	101
4. अंचलो की संख्या	—	534
5. हल्का की संख्या	—	4418
6. राजस्व ग्रामों की संख्या	—	45530

प्रशासनिक ढ़ाँचा

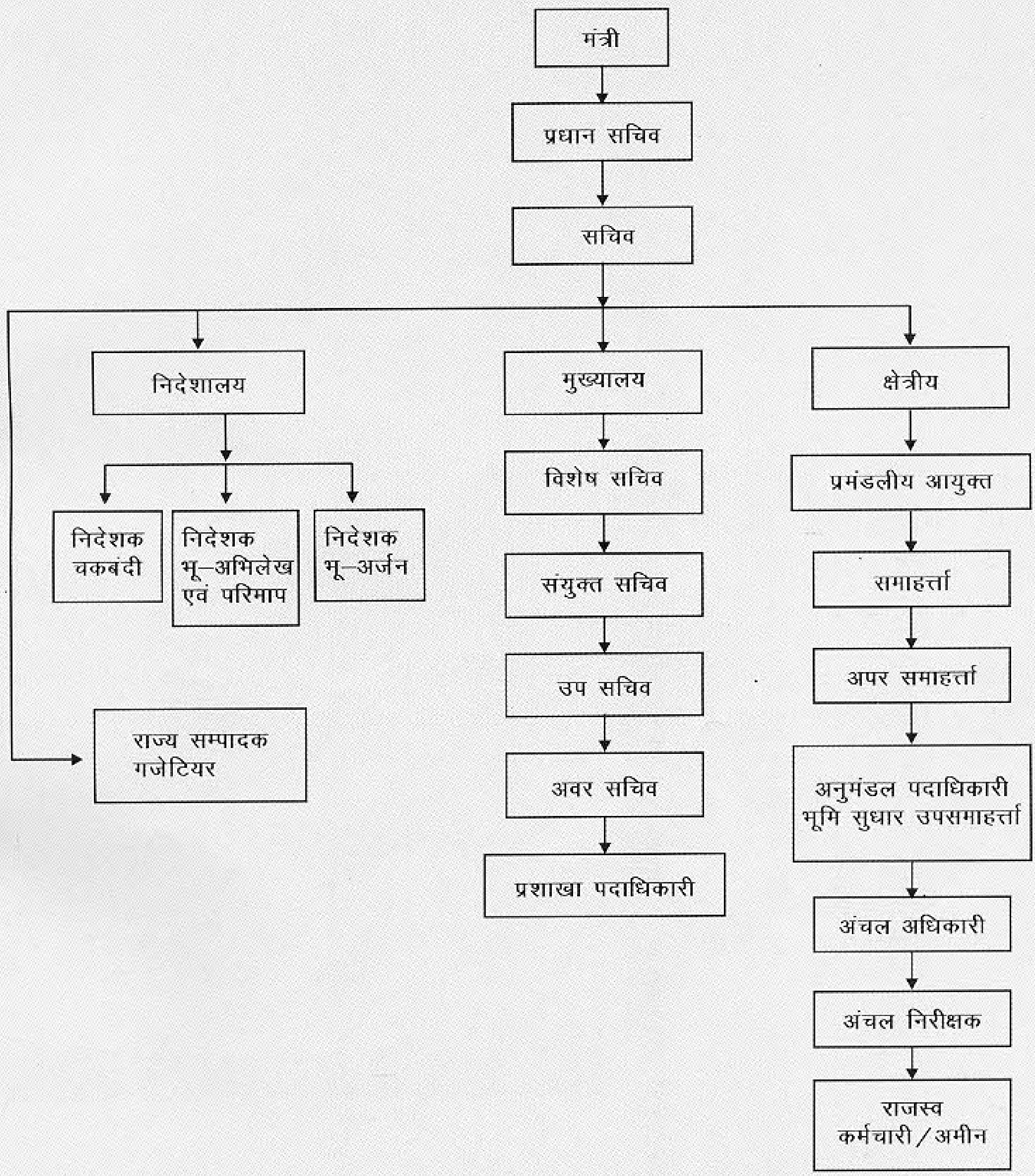

मंत्री
प्रधान सचिव
सचिव
निदेशालय
मुख्यालय
क्षेत्रीय
निदेशक चकबंदी
निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप
निदेशक भू–अर्जन
राज्य सम्पादक गजेटियर
विशेष सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
प्रमंडलीय आयुक्त
समाहर्त्ता
अपर समाहर्त्ता
अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
अंचल अधिकारी
अंचल निरीक्षक
राजस्व कर्मचारी / अमीन

भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय

- मुख्यालय
  - निदेशक
    - सहायक निदेशक
- क्षेत्रीय
  - बंदोबस्त पदाधिकारी
    - प्रभारी पदाधिकारी
      - सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
        - कानूनगो
- बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग
  - उप निदेशक
    - सहायक निदेशक (प्रावैधिकी)
      - सहायक निदेशक (प्रशासन)
- राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया
  - प्राचार्य
    - अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय

- निदेशक
  - मुख्यालय
    - संयुक्त निदेशक
      - उप निदेशक
  - क्षेत्रीय
    - उप निदेशक
      - चकबंदी पदाधिकारी
        - सहायक चकबंदी पदाधिकारी

स्वीकृत पद / रिक्ति
(सचिवालय स्थित मुख्यालय)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	भूमि सुधार आयुक्त–सह–प्रधान सचिव	1	1	0
2	निदेशक, चकबंदी	1	1	0
3	निदेशक, भू–अर्जन	1	0	1
4	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	1	1	0
5	राज्य सम्पादक, गजेटियर	1	0	1
6	अपर सचिव / विशेष सचिव	1	1	0
7	संयुक्त सचिव	3	1	2
8	उप सचिव (बि0प्र0से0)	1	1+1 एक विशेष कार्य पदाधिकारी	0
9	उप सचिव (सचिवालय सम्वर्ग)	1	0	1
10	अवर सचिव (बि0प्र0से0)	0	2 उप सचिव के पद पर उत्क्रमित	0
11	अवर सचिव (सचिवालय सम्वर्ग)	5	3	2
12	प्रशाखा पदाधिकारी	20+1	15	6
13	सहायक	86+2=88	39	48
14	प्रधान आप्त सचिव	1	1	0
15	आप्त सचिव	2	2	0
16	निजी सहायक	7	3	4
17	आशुलिपिक	10	1	9

स्वीकृत पद/रिक्ति
(क्षेत्रीय स्थापना)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अपर समाहर्त्ता	38	38	0
2	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता	101	92	9
3	अंचलाधिकारी	534	519	15
4	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	38	26	12
5	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	60	52	8
6	अंचल निरीक्षक	886	180	706

वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत योजना मद का बजट उदव्यय

(A) राज्य योजना

क्र0सं0	योजना का नाम	उदव्यय की राशि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण	2150.44
2	जोतों की चकबंदी	1500.00
3	गृहविहीनों के लिए वासगीत भूमि	1500.00
4	संपर्क सड़क	1000.00
5	महादलित विकास योजना	3686.00
6	केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए	1764.83
	कुल योग	**11601.27**

(B) 1. 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

01–जनगणना 1,75,30,27,000

101–जनगणना संबंधी ऑकड़ों का

कम्प्यूटरीकरण 0002–जनगणना स्थापना

वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत योजना मद के बजट उपबन्ध का प्रस्ताव

क्र0सं0	योजना का नाम	उपबन्ध की राशि (रुपये लाख में)
1	*2*	*3*
1.	भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं सर्वेक्षण	7200.00
2	जोतों की चकबंदी	2018.00
3	संपर्क सड़क/गृहविहीनों के लिए वासगीत भूमि	1000.00
4	महादलित विकास योजनाअंतर्गत भूमि का क्रय	3286.00
5	भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय/कार्यालय निर्माण की योजना	136.21
	कुल योग	**13640.21**

विभागान्तर्गत महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति

(1) **महादलित विकास योजना** :– महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000/– रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुल 220729 वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल–14787 वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 386.58 एकड़ है। इसी प्रकार 13010 वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि के बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 331.50 एकड़ है। इस वित्तीय वर्ष में बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–5975 महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 174.98 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 3286/– लाख रूपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आवंटित कर दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 1390 लाख रूपए का व्यय कर 8847 वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 265.41 एकड़ भूमि है।

गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार :–

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारो की सख्या	बन्दोबस्ती भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
69377	52846	1617.99	76.17

गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार :–

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारो की सख्या	बन्दोबस्ती भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
46870	24871	669.399	53.06

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार :–

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारो की सख्या	बन्दोबस्ती भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
43560	39668	1106.801	91.07

रैयती भूमि के क्रय द्वारा आच्छादित वासरहित महादलित परिवार :–

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारो की सख्या	बन्दोबस्ती भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
60922	26479	794.37	43.46

2. गृह–स्थल योजना :

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर) अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी० पी० पी० एच० टी० एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए 20000.00 रूपये के वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु गृहस्थल योजना राज्य में लागू हो गई है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1500.00 लाख रूपये का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। अबतक जिलों द्वारा कुल–204.00 लाख रूपये का व्यय कर कुल–1020 परिवारों को इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2011–12

वर्ष 2011–12 में जिलों को आवंटित राशि (लाख में)	पूर्ण हो गई भू–अर्जन योजनाओं की विवरणी		
	रकबा (एकड़ में)	व्यय की गई राशि	गृह स्थल उपलब्ध कराये गये लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4
1500	30.60	204.00	1020

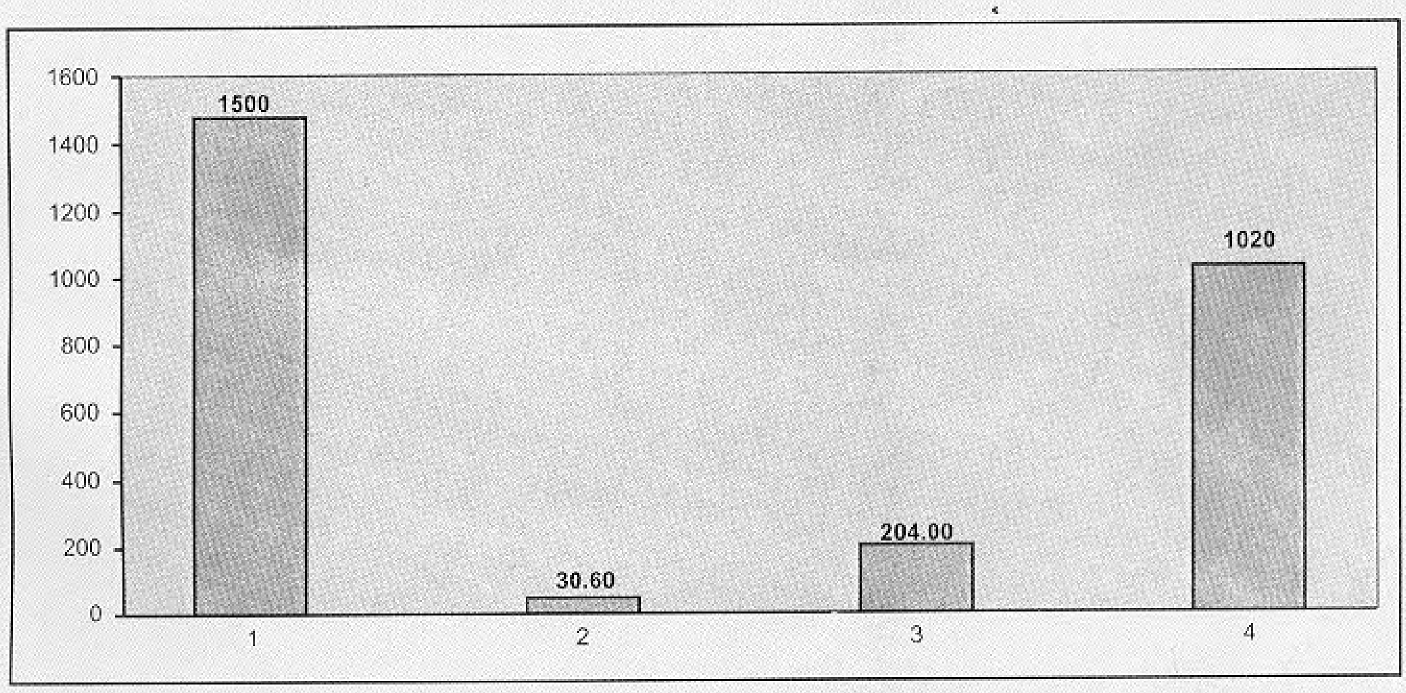

3. संपर्क सड़क :

संपर्क सड़क योजना के अंतर्गत सम्पर्क पथ विहीन वाले वैसे टोले, मुहल्लों, जहाँ कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सरकारी जमीन अथवा सरकारी जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि का अर्जन किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 925.62 लाख रूपए आवंटित की गई है। आवंटित राशि के विरूद्ध अबतक 229.85 लाख रूपए का व्यय कर अबतक 114 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 128 ग्राम / टोले / मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

वर्ष 2011–12

वर्ष 2011–12 में जिलों को आवंटित राशि (लाख में)	पूर्ण हो गई भू–अर्जन योजनाओं की विवरणी			
	संख्या	रकबा (एकड़ में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	संपर्क सड़क से जुड़े टोलों / मुहल्लों की संख्या
1	2	3	4	5
925.62	114	35.18	229.85	128

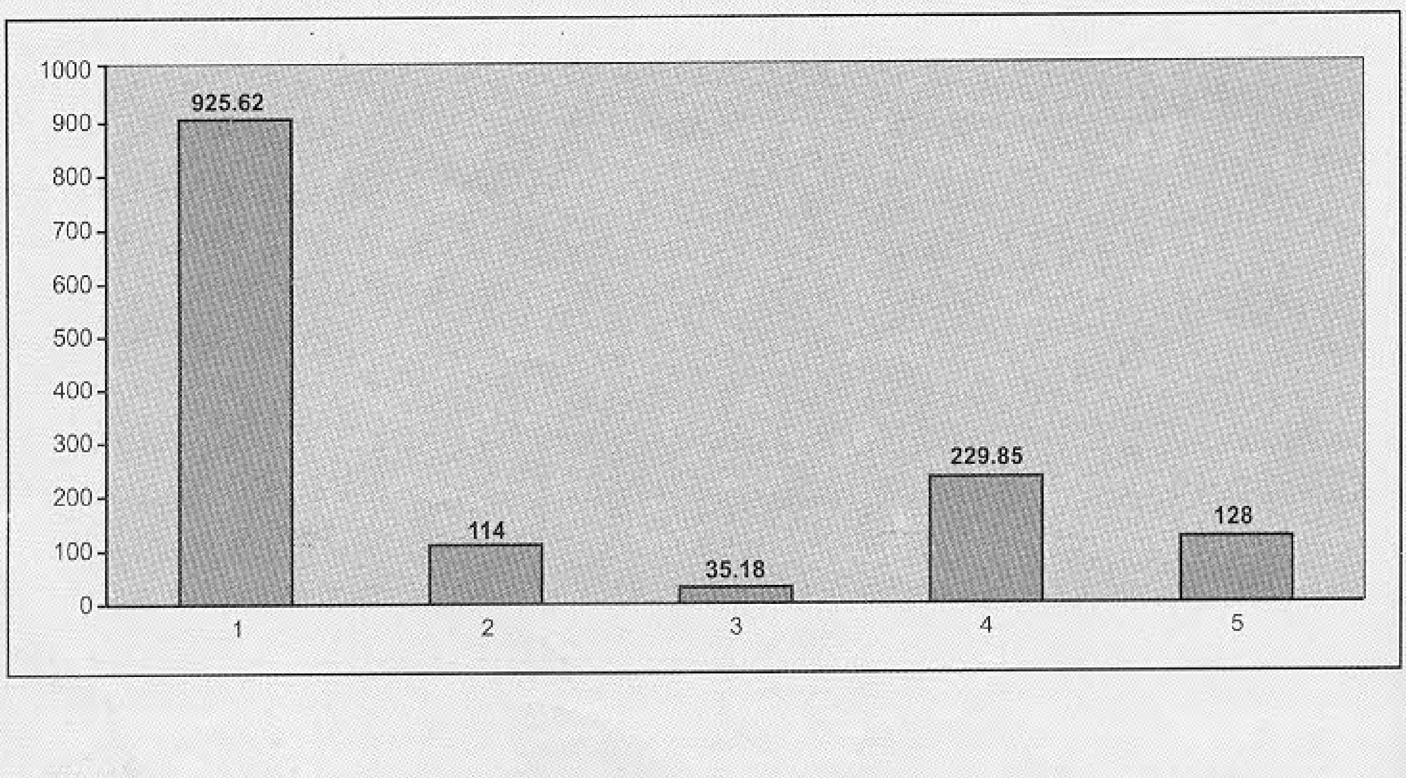

4. सरकारी भूमि का हस्तांतरण :— वित्तीय वर्ष 2011–12 में अब तक 73 भूमि हस्तांतरण के मामले की स्वीकृत दी गई जिसके अन्तर्गत कुल 642.4873 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरित किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	ग्राम (मौजा)	जिला	उद्देश्य	रकवा (एकड़ में)	विभाग / बोर्ड को जिन्हें भूमि हस्तांतरण किया गया है।
1	2	3	4	5	6
1	लुअठाहा	पूर्वी चम्पारण	जिला सांख्यिकी कार्यालय हेतु	0.07	योजना एवं विकास विभाग
2	रहमतपुर	मुंगेर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.44	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
3	रवोदावंदपुर	बेगूसराय	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
4	सरेया	गोपालगंज	परिवहन कार्यालय हेतु	0.37	परिवहन विभाग
5	मुशहरी	मुजफ्फरपुर	छात्रावास हेतु	1.00	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
6	नारायणपुर	नालन्दा	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.06	मानव संसाधन विकास विभाग
7	विष्णुपुरा	सारण	छात्रावास हेतु	1.00	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
8	भवदेवपुर	सीतामढ़ी	छात्रावास हेतु	0.64	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
9	बजौरा	गया	नवोदय विद्यालय हेतु	28.30	मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार
10	गोड़ारी	रोहतास	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.65	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
11	राणा विगहा	नालंदा	छात्रावास हेतु	1.00	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
12	देवीसराय	नालन्दा	परिवहन कार्यालय हेतु	1.00	परिवहन विभाग
13	मीठापुर	पटना	महाविद्यालय हेतु	0.25	मानव संसाधन विकास विभाग
14.	शिवनगर	अरवल	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु	04.26	श्रम संसाधन
15	सिकन्दरा	जमुई	आरक्षी निरिक्षक के कार्यालय हेतु	0.50	गृह विभाग
16	फुलवड़िया	बेगुसराय	थाना भवन हेतु	0.68	गृह विभाग
17	करीमगंज	गया	छात्रावास हेतु	0.5325	अल्पसंखयक
18	देवीसराय	नालन्दा	बालगृह / पर्यवेक्षण गृह हेतु	1.00	समाज कल्याण विभाग
19	लुअठाहाँ	पूर्वी चम्पारण	पौलिक्लीनीक हेतु	0.50	रक्षा मंत्रालय भारत सरकार
20	मंशापुर	सुपौल	पौलिटेकनीक हेतु	5.44	विज्ञान प्रावैधिकी
21	पिलखी	नालन्दा	नालन्दा विश्वविद्यालय हेतु	9.32	मानव संसाधन विकास विभाग
22	परसुराय	नालन्दा	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.75	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
23	नौहटा	सहरसा	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.60	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
24	नावाडीह	जमुई	अनूमंडल आरक्षी पदाधिकारी के कार्यालय / आवास हेतु	1.00	गृह विभाग

25	जगरनाथपुर	कटिहार	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
26	दियारा	पटना	थर्मल पावर स्टेशन हेतु	290.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
27	करियोत	मधुबनी	एस0एस0बी कैम्प हेतु	3.00	गृह मंत्रालय भारत सरकार
28	रहिकपुर	अररिया	छात्रावास हेतु	1.00	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग
29	भवानीपुर	पूर्वी चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
30	धरियारीचक	पूर्वी चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
31	राजगीर	नालन्दा	मोनास्ट्री हेतु	2.00	भूटान सरकार
32	नावाडीह	जमुई	आरक्षी निरीक्षक के कार्यालय/ आवास हेतु	1.00	गृह विभाग
33	कण्डी	गया	हॉटमिक्स प्लांट हेतु	3.02	पथ निर्माण विभाग
34	रामपुर	नालन्दा	अग्निशमन कार्यालय का निमार्ण हेतु	0.44	गृह विभाग
35	मकदुमपुर	शेखपुरा	छात्रावास हेतु	1.11	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
36	गन्नीपुर	मुजफ्फरपुर	विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन हेतु	2.25	गृह विभाग
37	किऊल	लखीसराय	छात्रावास हेतु	1.48	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
38	रूकनपुरा	पटना	भवनहीन विद्यालय हेतु	0.08	मानव संसाधन विकास विभाग
39	मंसूरपुर	वैशाली	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.85	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
40	अमहारा	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.445	उद्योग विभाग
41	अमहारा	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.43	उद्योग विभाग
42	अमहारा	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	1.95	उद्योग विभाग
43	अमहारा	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.73	उद्योग विभाग
44	दिलावरपुर	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.7325	उद्योग विभाग
45	राघोपुर	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	1.90	उद्योग विभाग
46	दिलावरपुर	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.66	उद्योग विभाग
47	अमहारा	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	1.34	उद्योग विभाग
48	अमहारा	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.26	उद्योग विभाग
49	जमसारी	नालन्दा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.625	स्वास्थ्य विभाग
50	बभना कटया	जहानाबाद	छात्रावास हेतु	0.50	पिछड़ा कल्याण विभाग
51	मटोखर	शेखपुरा	बालगृह /पर्यवेक्षण गृह हेतु	1.00	समाज कल्याण विभाग
52	रूकनपुरा	पटना	रेलपुल हेतु	7.19	रेल मंत्रालय, भारत सरकार
53	दीघा	पटना	रेलपुल हेतु	0.360	रेल मंत्रालय, भारत सरकार
54	दीघा	पटना	रेलपुल हेतु	17.085	रेल मंत्रालय, भारत सरकार
55	पंडितपुर	नालंदा	अग्निशमन कार्यालय हेतु	0.40	गृह विभाग

56	चिस्तीयान	नालंदा	होमगार्ड कार्यालय हेतु	0.90	गृह विभाग
57	थरथरी	नालंदा	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.06	मानव संसाधन विकास विभाग
58	कतरपुर	नालंदा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.15	स्वास्थ्य विभाग
59	दावथ	रोहतास	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.065	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
60	चकला, गोविंदपुर	किशनगंज	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैम्पस हेतु	224.02	मानव संसाधन विभाग
61	पार्क रोड, कदमकुआँ	पटना	कन्या आवासीय विद्यालय हेतु	.0489	समाज कल्याण विभाग
62	मकदुमपुर	शेखपुरा	बालिका छात्रावास हेतु	1.02	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
63	दयालपुर	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.72	उद्योग विभाग
64	उज्जैन टोला	प० चम्पारण	परिवहन कार्यालय हेतु	0.15	परिवहन विभाग
65	राजापाकर	वैशाली	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.75	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
66	माहिखन्दन	नालन्दा	मालखाना हेतु	0.24	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
67	बक्सर	बक्सर	शवदाह गृह हेतु	0.5634	गृह विभाग
68	बेलाढ़ी	रोहतास (सासाराम)	बालगृह हेतु	0.90	समाज कल्याण विभाग
69	वार्ड नं0–5 भभुआं	कैमूर	उर्दू मध्य विद्यालय हेतु	0.20	शिक्षा विभाग
70	भटना विजयीपुर	गोपालगंज	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.75	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
71	चाप हुसैनगंज	गोपालगंज	छात्रावास निर्माण हेतु	1.25	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग
72	चाप हुसैनगंज	गोपालगंज	बाल सुधार गृह हेतु	1.00	समाज कल्याण विभाग
73	पचना	शेखपुरा	आवासीय कन्या विद्यालय हेतु	5.00	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
74	दयापलुर	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क	02.21	उद्योग विभाग
75	सिहेश्वर	मधेपुरा	आई0 टी0 आई0	5.51	श्रम संसाधन विभाग
			कूल	**650.2073**	

5. भू–अर्जन :

विकास प्रक्रिया में भू अर्जन एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य परियोजनाओं के लिए भू अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु कदम उठाये गये हैं। सरकार के द्वारा बिहार भू अर्जन पुनस्थापन एवं पुर्नवास नीति 2007 लागू की गई है। इसके तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भूमि के निबंधन हेतु मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किये जाने वाले मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर सामान्य स्थिति में 30 प्रतिशत एवं भूधारी के द्वारा स्वेच्छा से भूमि दिये जाने पर 60 प्रतिशत सोलेशियम भी दिया जाता है।

क्र0	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	रेलवे परियोजना	323.462
2	टीवपी0पी0 (बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय)	3332.895
3	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर परियोजना कांटी	344.81
4	एन0टी0पी0सी0 (बी0आर0बी0सी0एल0), औरंगाबाद	4.45
5	एन0पी0जी0सी0 औरंगाबाद	503.9647
6	पावर ग्रीड	19.21
7	एस0 एस0 बी0	119.679
8	बिहटा–सरमेरा र0उ0 पथ, पटना	404.6
9	चण्डी–सरमेरा र0उ0 पथ, पटना	347.64
10	बागमती तटबंध	103.8
11	अन्य परियोजना	426.34313
	योगः–	5930.85383

5. भू–अर्जन :

विकास प्रक्रिया में भू अर्जन एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य परियोजनाओं के लिए भू अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु कदम उठाये गये हैं। सरकार के द्वारा बिहार भू अर्जन पुनस्थापन एवं पुर्नवास नीति 2007 लागू की गई है। इसके तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भूमि के निबंधन हेतु मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किये जाने वाले मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर सामान्य स्थिति में 30 प्रतिशत एवं भूधारी के द्वारा स्वेच्छा से भूमि दिये जाने पर 60 प्रतिशत सोलेशियम भी दिया जाता है।

क्र0	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	रेलवे परियोजना	323.462
2	टीवपी0पी0 (बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय)	3332.895
3	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर परियोजना कांटी	344.81
4	एन0टी0पी0सी0 (बी0आर0बी0सी0एल0), औरंगाबाद	4.45
5	एन0पी0जी0सी0 औरंगाबाद	503.9647
6	पावर ग्रीड	19.21
7	एस0 एस0 बी0	119.679
8	बिहटा–सरमेरा र0उ0 पथ, पटना	404.6
9	चण्डी–सरमेरा र0उ0 पथ, पटना	347.64
10	बागमती तटबंध	103.8
11	अन्य परियोजना	426.34313
	योगः–	**5930.85383**

6. सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती :

सरकारी भूमि की बंदोबस्ती सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ करने का सरकार के उद्धेश्य की पूर्ति की दिशा में कृषि एवं गृह स्थल हेतु सुयोग्य श्रेणी के वर्ष 2006–07 में कुल 2715 लाभान्वितों के बीच 771.88 एकड़ भूमि बदोबस्त की गई थी । वर्ष 2007–08 में 575.00 एकड़ भूमि 1378 लाभान्वितों के बीच वितरित की गई है।वर्ष 2008–09 में 203.88 एकड़ भूमि 1453 लभान्वितों के बीच वितरित की गई। वर्ष 2009–10 में 464.59 एकड़ भूमि 8807 लाभान्वितों कें बीच वितरित की गई है। वर्ष 2010–11 में 921.91 एकड़ भूमि 10,030 लाभान्वितों के बीच वितरित की गई है। वर्ष 2011–12 में 373.07 एकड़ भूमि 14547 लाभान्वितों के बीच वितरित की गई।

(रकबा एकड़ में)

2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या
771.88	2715	575.00	1378	203.88	1453	464.59	8807	921.91	10030	373.07	14547

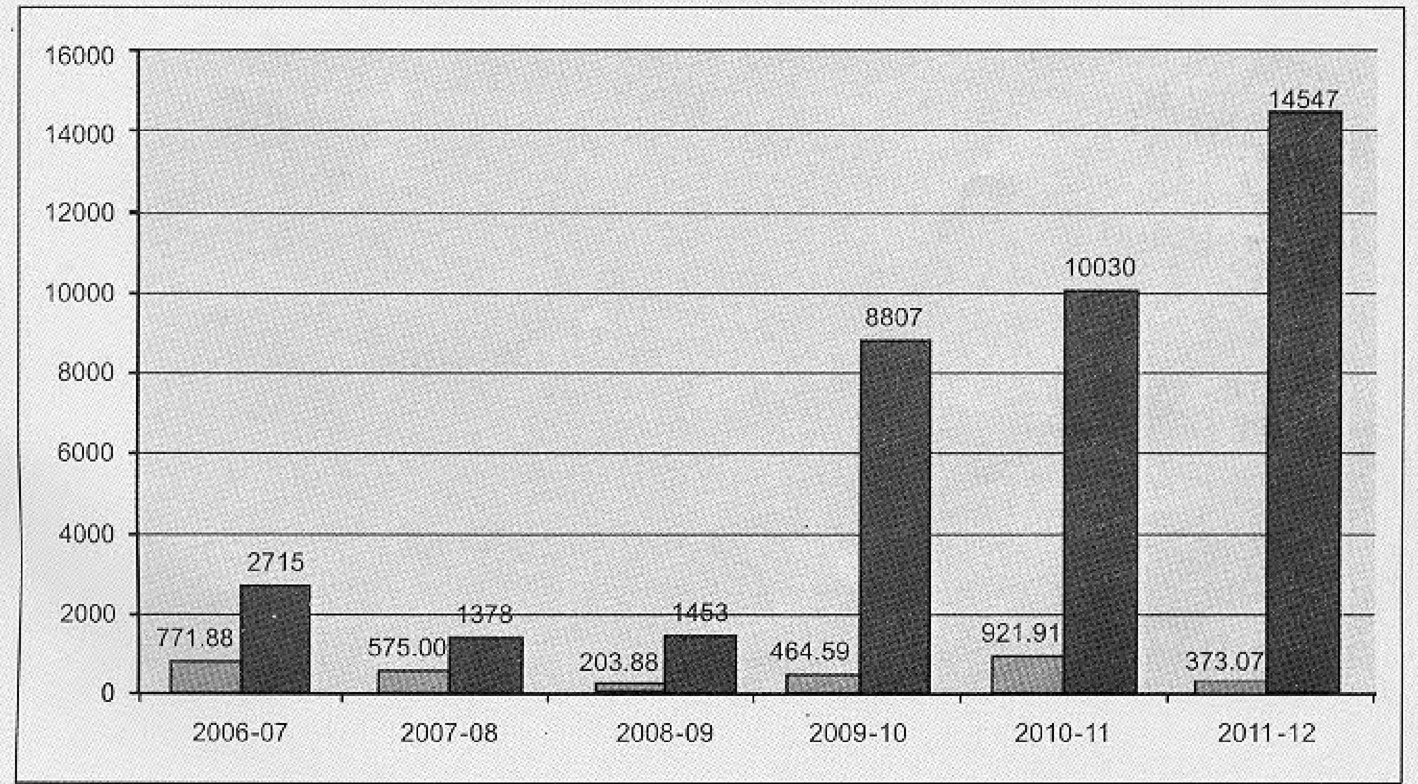

6. सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती :

सरकारी भूमि की बंदोबस्ती सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ करने का सरकार के उद्धेश्य की पूर्ति की दिशा में कृषि एवं गृह स्थल हेतु सुयोग्य श्रेणी के वर्ष 2006–07 में कुल 2715 लाभान्वितों के बीच 771.88 एकड़ भूमि बदोबस्त की गई थी । वर्ष 2007–08 में 575.00 एकड़ भूमि 1378 लाभान्वितों के बीच वितरित की गई है।वर्ष 2008–09 में 203.88 एकड़ भूमि 1453 लभान्वितों के बीच वितरित की गई। वर्ष 2009–10 में 464.59 एकड़ भूमि 8807 लाभान्वितों कें बीच वितरित की गई है। वर्ष 2010–11 में 921.91 एकड़ भूमि 10,030 लाभान्वितों के बीच वितरित की गई है। वर्ष 2011–12 में 373.07 एकड़ भूमि 14547 लाभान्वितों के बीच वितरित की गई।

(रकबा एकड़ में)

2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या	बन्दोवस्त भूमि का रकबा	लाभान्वितों की कुल संख्या
771.88	2715	575.00	1378	203.88	1453	464.59	8807	921.91	10030	373.07	14547

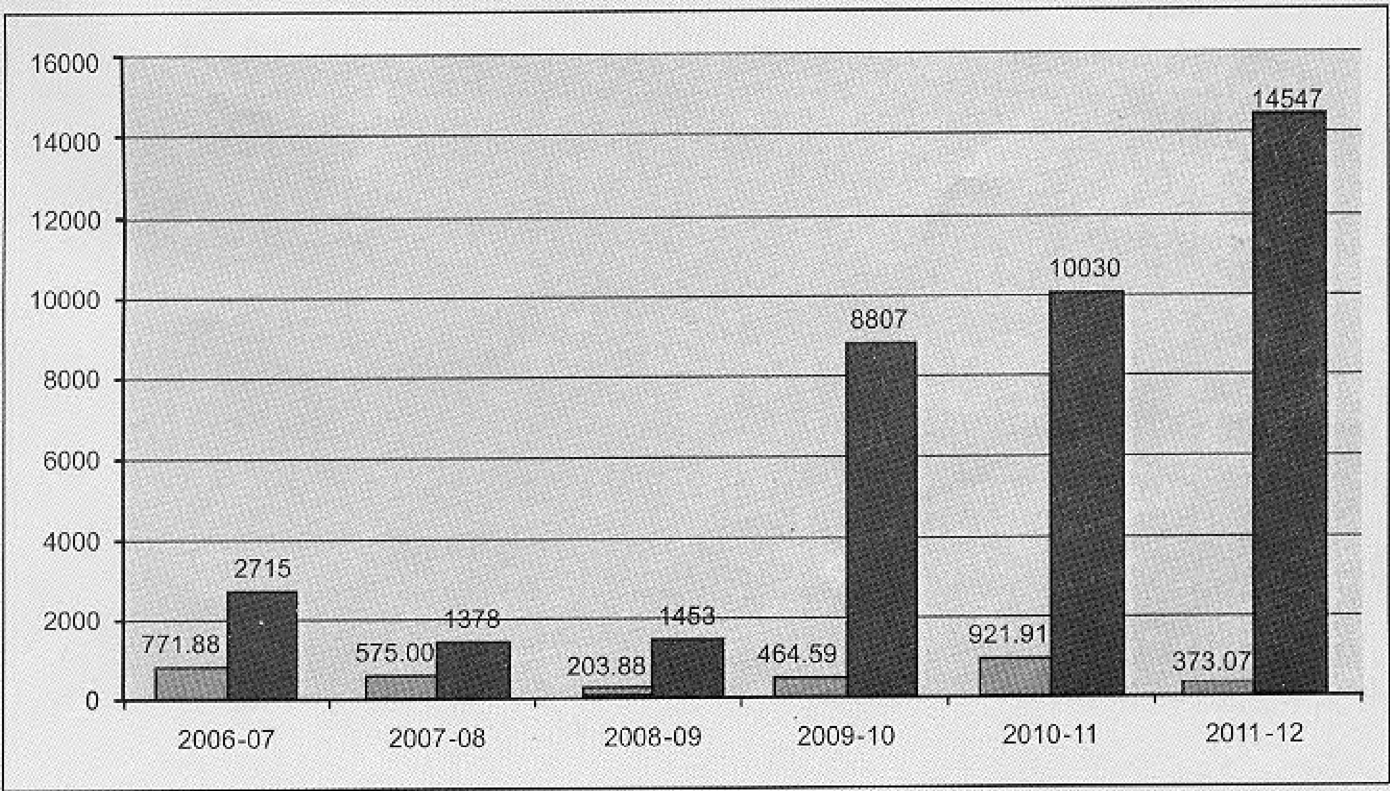

7. वासगीत पर्चा :

सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच गृह हेतु वासगीत पर्चा का वितरण किया जाता है। वर्ष 2006–07 में कुल 402.87 एकड़ भुमि 10494 व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया। वर्ष 2007–08 में 15700 व्यक्तियों के बीच बासगीत पर्चा वितरित की गई है, जिसमें 800.06 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2008–09 में 14184 व्यक्तियों के बीच 613.43 एकड़ भूमि पर्चा वितरीत हुआ। वर्ष 2009–10 में 10399 व्यक्तियों के बीच 366.03 एकड़ भूमि पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2010–11 में 15558 व्यक्तियों के बीच 532.51 एकड़ भूमि पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2011–12 में 10292 व्यक्तियों के बीच 433.46 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इस निमित लागू कानून के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने के साथ–साथ राजस्व कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराते हुए त्वरित कार्रवाई किये जाने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।

वित्तीय वर्ष	कुल लाभान्वितों की संख्या	वितरित भूमि का रकबा(एकड़)
2006-07	10494	402.87
2007-08	15700	800.06
2008-09	14184	613.43
2009-10	10399	366.03
2010-11	15558	532.51
2011-12	10292	433.46

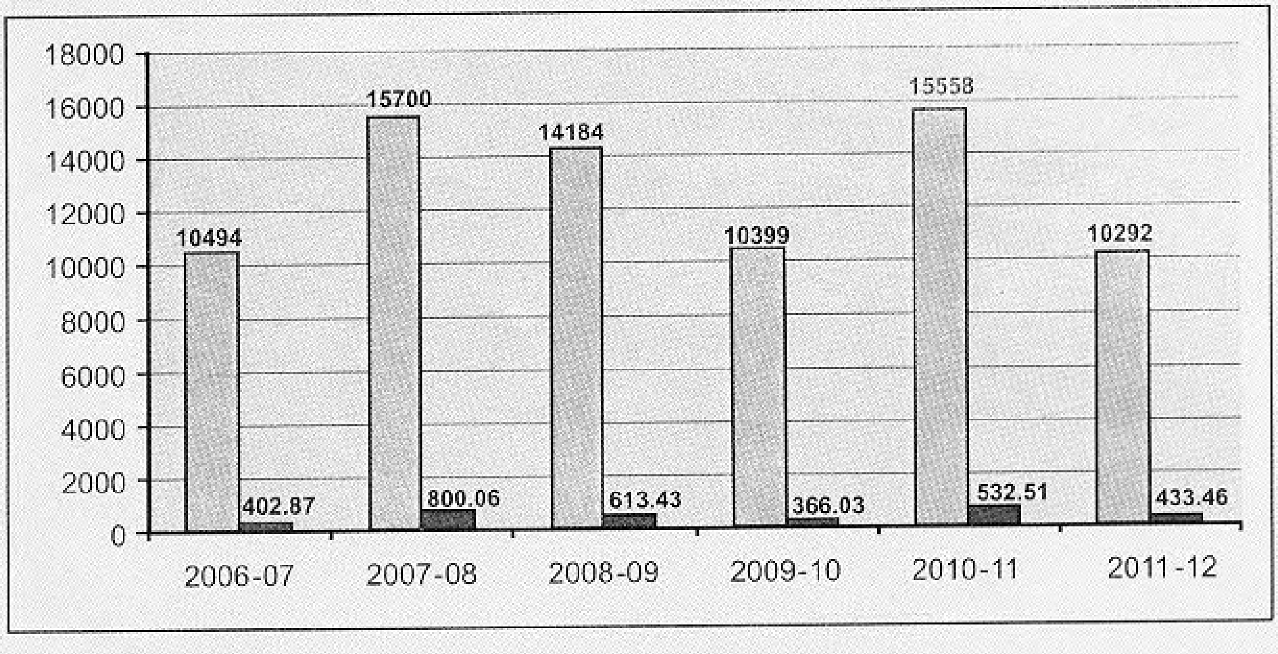

8. भू–हदबंदी अधिनियम के तहत प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण :

भू हदबंदी अधिनियम के तहत सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 750 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 2138 लाभान्वितों के बीच 901.12 एकड. भूमि वितरित की गई।वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल 750 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 1825 लाभान्वितों के बीच 655.72 एकड. भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 155 लभान्वितों के बीच 64.09 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 98 लभान्वितों के बीच 27.72 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 111 लभान्वितों के बीच 43.98 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वर्ष 2011–12 में प्रगति शून्य है।

(रकबा एकड़ में)

2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या
901.12	2138	655.72	1825	64.09	155	27.72	98	43.98	111	0.00	0.00

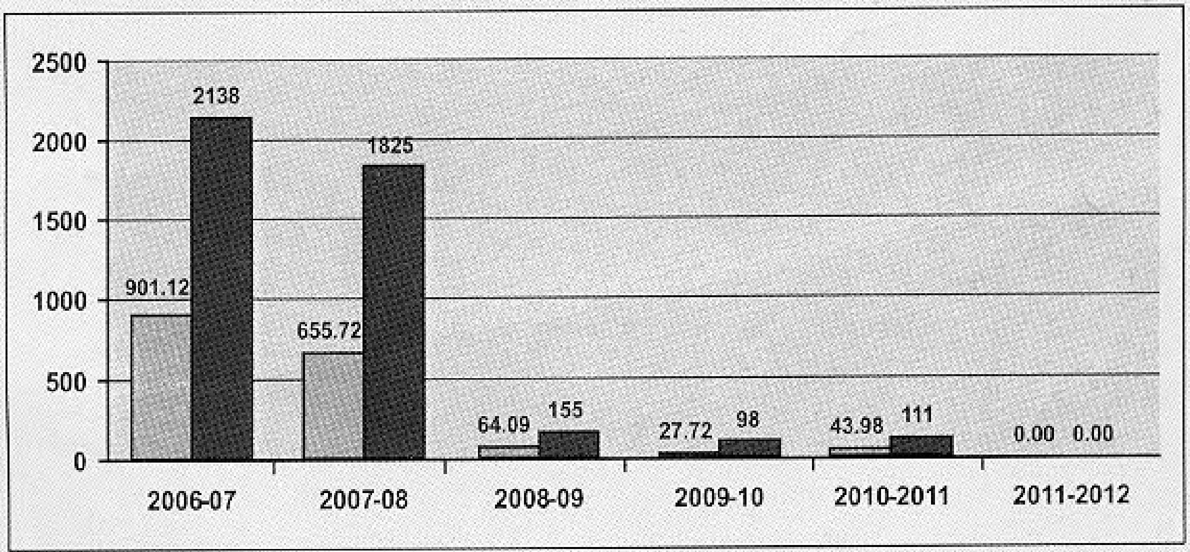

9. भू–दान :

भू–दान में प्राप्त भूमि के वितरण हेतु बिहार भूमि सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं, यथा सरकार द्वारा स्वीकृत, के अनुसार भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण एवं सभी अनुवर्त्ती कार्रवाईयाँ बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा की जा रही है।

इस सिलसिले में सम्पुष्टि एवं वितरण योग्य भूमि के विलरण के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई यथा–

दाखिल–खारिज, शुद्धिपत्र निर्गत किया जाना, जमाबंदी पंजी में यथा योग्य प्रविष्टि एवं विलोपन, लगान निर्धारण एवं मांग सृजन, लगान रसीद निर्गत करना, कम्प्यूटराईजेशन की कार्रवाई किये जाने का निदेश सभी जिलाधिकारीगण एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्तगण को दिया गया है।

वितरण के अयोग्य भूमि के प्रतिवेदित मामलों को बंजर भूमि की परिभाषा की कसौटी पर परखते हुये उन्हें बंजर भूमि विकास योजना के तहत उपयोग में लाने हेतु कार्रवाई किये जाने का भी निदेश दिया गया है। प्रारम्भ से अबतक 255680.32 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। प्रगति निम्न प्रकार हैः–

(एकड़ में)

भू–दान से प्राप्त भूमि	सम्पुष्ट भूमि	वितरण के अयोग्य	वितरित भूमि	अवितरित शेष भूमि
648593.14	**344864.63**	**385447.17**	**255680.30**	**7465.65**

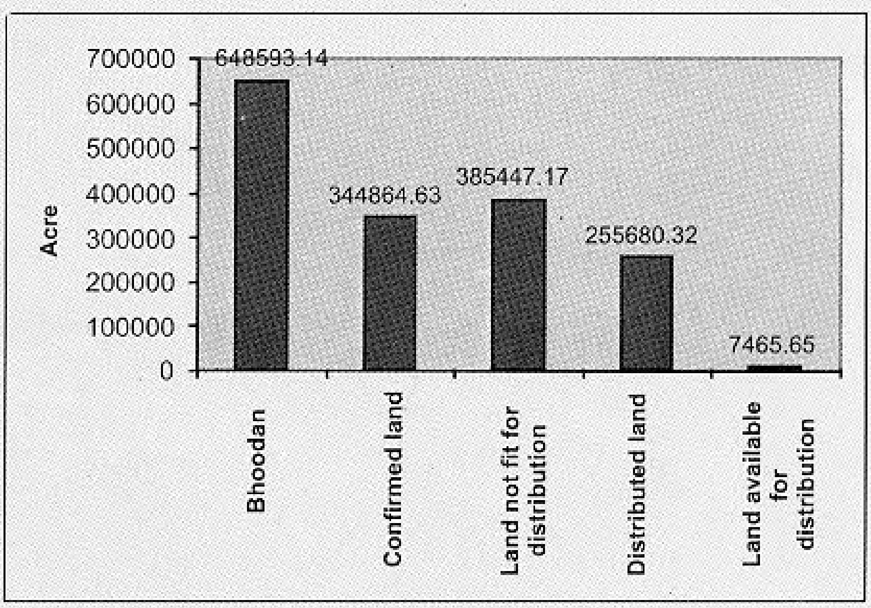

10. एकादश वित्त आयोग :

एकादश वित्त आयोग के अंतर्गत योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्र से राशि प्राप्त हुइ । वित्तीय वर्ष 2006–07 में 11.66 करोड़ रूपये की राशि खर्च कर 441 योजनाएं पूर्ण की गई । वर्ष 2007–08 तक 12.89 करोड़ रूपये व्यय कर 553 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। वर्ष 2008–09 में 13.61 करोड़ रूपये खर्च कर 603 योजनाऐं पूर्ण की जा चुकी है एवं वर्ष 2009–10 में 13.81 करोड़ रूपये खर्च कर 619 योजनाऐं पूर्ण की जा चुकी है ।इसके तहत पोखरों/तालाबों के उन्नयन का कार्य हो रहा है। वर्ष 2010–11 में दिसम्बर तक स्वीकृत योजना–1002 व्यय की गई राशि–1427.760, योजना पूर्ण–644 । वर्ष 2011–12 में व्यय की गई राशि (नवम्बर,11 तक) 1439.908, योजनापूर्ण–658

स्वीकृत योजना	आवंटित राशि (राशि करोड़ में)	व्यय की गई राशि						योजना पूर्ण					
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1002	16.95	11.66	12.89	13.61	13.81	1427.60	1439.908	441	553	603	619	644	658

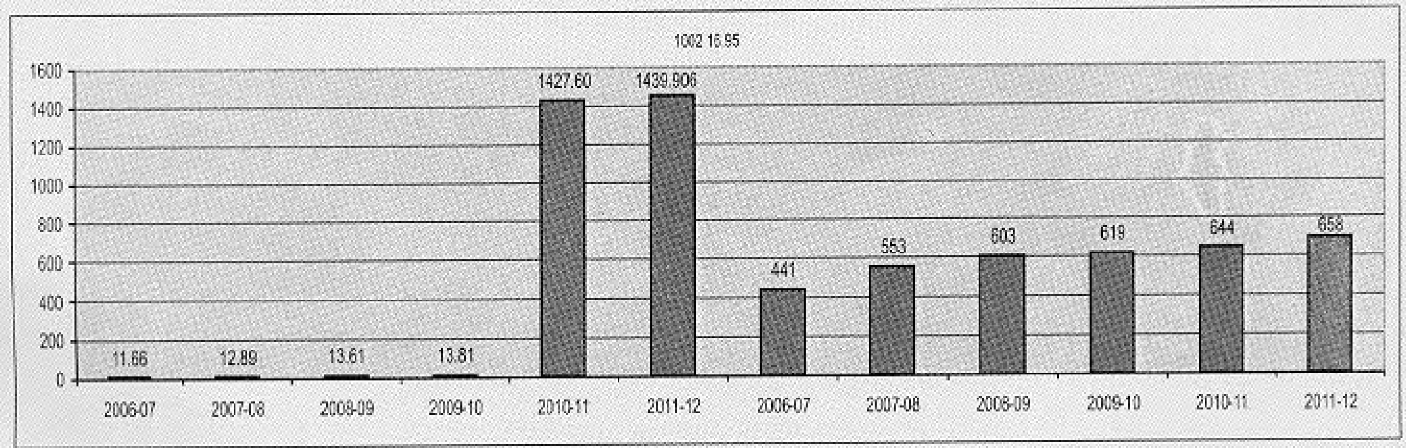

11. दाखिल खारिज :

वर्ष 2006–07 विशेष अभियान चला कर 1867070 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया था।वर्ष 2007–08 में अबतक कुल 803973 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है। वर्ष 2008–09 में कुल 974528 वादों का निष्पादन किया गया है।वर्ष 2009–10 में कुल 784938 वादों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2010–11 में दिसम्बर तक 642564 वादों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2011–12 में नवम्बर तक कुल 754402 वादों का निष्पादन किया गया। नामान्तरण की कार्रवाई पारदर्शी, प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्धेश्य से निबंधन कार्यालयों से अंचल अधिकारीगण को एल.एल.आर. फी नोटिस के साथ निबंधित दस्तावेज की प्रति भी प्राप्त कराने का आदेश दिया गया, ताकि विहित प्रक्रिया अनुसार नोटिस देते हुए अंचल अधिकारी नामान्तरण की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ करें। नामांतरण के पश्चात् शुद्धि पत्र निर्गत किया जाना, जमाबन्दी कायम करते हुए मालगुजारी रसीद प्रदान कर हल्का कर्मचारी के मांग पंजी में वांछित सुधार अबिलंम्ब करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त विभागीय परिपत्र संख्या –473 (9) दिनांक 31.11.09 द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को राज्य के सभी अंचलों में राजस्व शिविर आयोजित कर मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश सभी समाहर्त्ताओं को दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	निष्पादित वादों की संख्या
2006-07	1867070
2007-08	803973
2008-09	974528
2009-10	891618
2010-11	642564
2011-12	754402

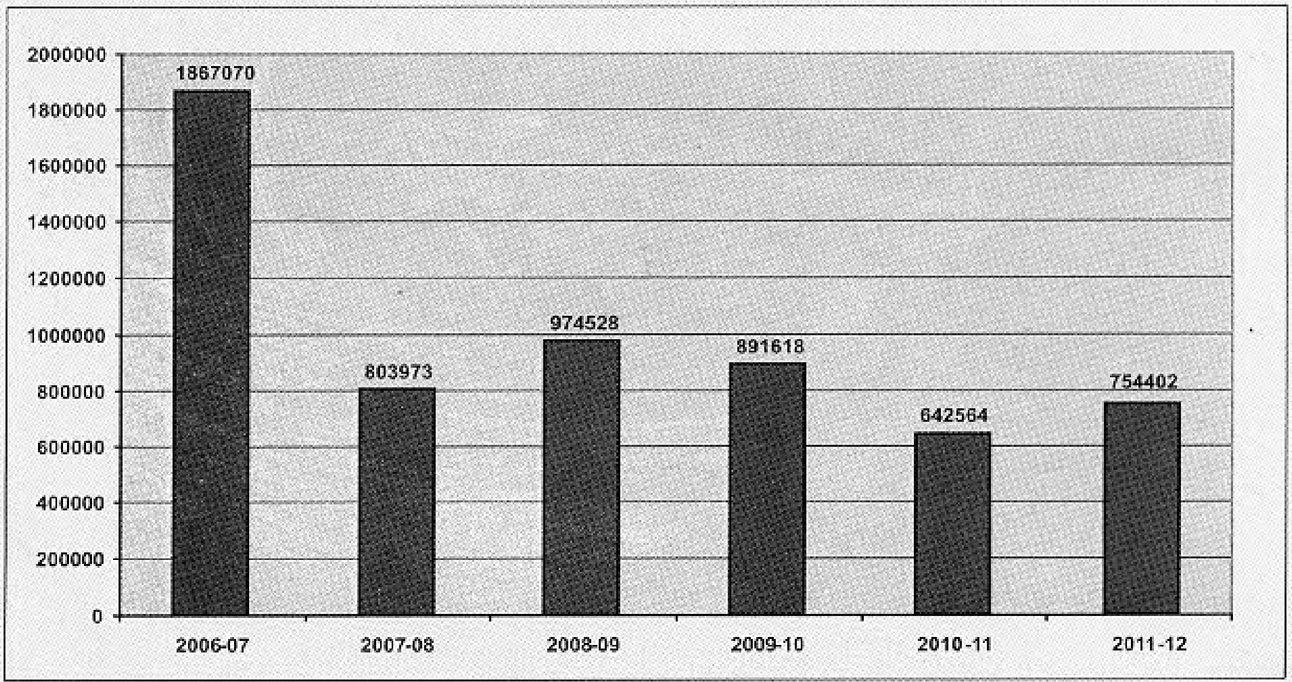

12. भू–लगान वसूली :

भू–लगान की वसूली न सिर्फ राजस्व की दृष्टि से वरन् भूमि सम्बन्धी विवादों के निष्पादन एवं सामाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करता है। वर्ष 2006–07 में 85 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध 46.48 करोड़ की वसूली कर लक्ष्य का 54.69 प्रतिशत प्राप्त किया गया था। वर्ष 2007–08 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 27.46 करोड़ रूपयों की वसूली की गई है जो लक्ष्य का 27.46 प्रतिशत है।वर्ष 2008–09 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 45.37 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 45.37 प्रतिशत है।वर्ष 2009–10 में कुल माँग 110 करोड़ के विरूद्ध 39.16 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 35.60 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में कुल माँग 112 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर,10 तक 196144094.36 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 17.49 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 में कुल मांग 140 करोड़ के विरूद्ध 28.03 करोड़ रूपये की वसूली की गयी जो लक्ष्य का 20.02 प्रतिशत है।

(रूपये करोड़ में)

भू–लगान की कुल लक्ष्य						वसूली की कुल राशि						वसूली की प्रतिशत					
2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
85.00	100.00	100.00	110.00	112.00	140.00	46.48	27.46	45.37	39.16	19.61	28.03	54.69	27.46	45.37	35.60	17.49	20.02

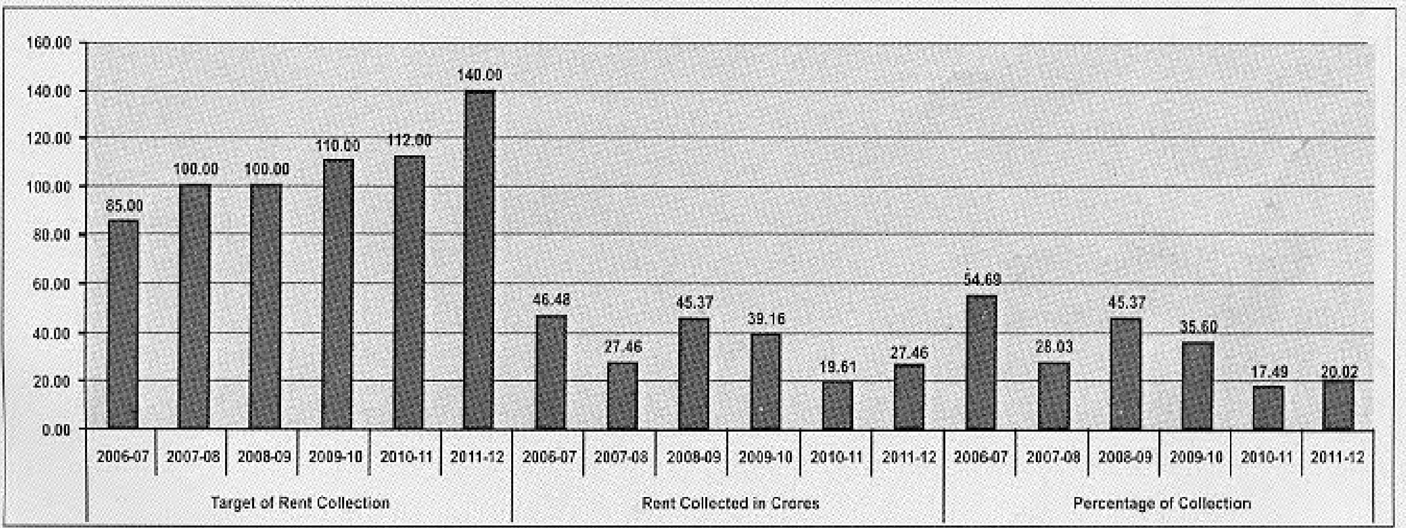

13. सैरातों की बन्दोबस्ती :

वर्ष 2006–07 में कुल 6867 सैरातों में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 4892 एवं राशि 442.33 लाख रूपया हैं। वर्ष 2007–08 में कुल 5954 सैरातों में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 3787 एवं राशि 460.30 लाख रूपया है।वर्ष 2008–09 में कुल सैरातों की संख्या 6071 में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 4422 एवं राशि 605.15लाख रू0 है।वर्ष 2009–10 में कुल सैरातों की संख्या 7928 में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 4406 एवं राशि 916.42 लाख रू0 है। वर्ष 2010–11 में दिसम्बर,10 तक कुल सैरातों की सं0–6927 में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या–3368 एवं राशि 946.11 लाख रू0 है। वर्ष 2011–12 में कुल सैरातों की सं0–6903 में से बन्दोबस्त सैरातों की संख्या 3607 एवं राशि 102.33 लाख रूपये है।

वर्ष	कुल सैरातों की संख्या	कुल बन्दोबस्त सैरातों की संख्या	कुल बन्दोबस्त सैरातों की राशि(लाख में)
2006-07	6867	4892	442.33
2007-08	5954	3787	460.30
2008-09	6071	4422	605.15
2009-10	7928	4406	916.42
2010-11	6927	3368	946.11
2011-12	6903	3607	102.33

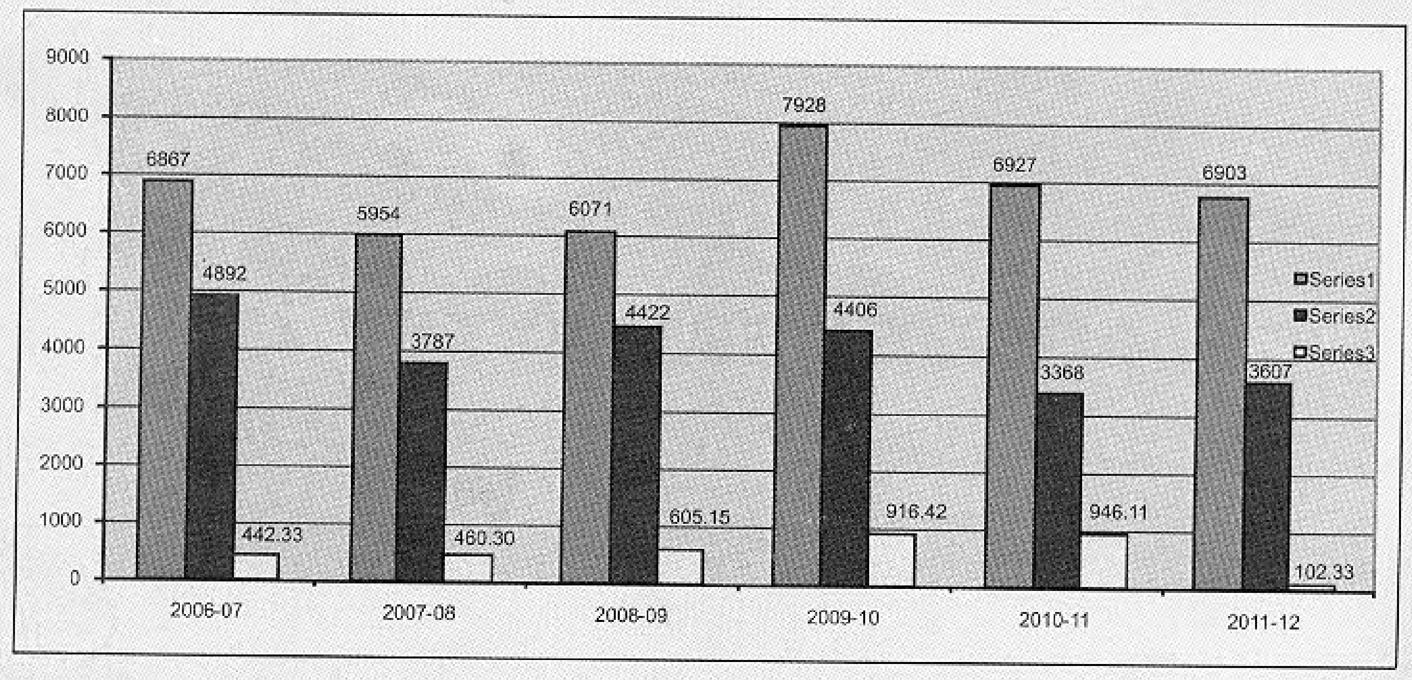

14. लोक भूमि अतिक्रमण :

सामाजिक शांति एवं व्यवस्था वनाये रखने के लिए लोक भूमि अतिक्रमण से मुक्त रखना आवश्यक है। वर्ष 2006–07 में 2258 वादों का निष्पादन कर 829.43 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया वर्ष 2007–08 में कुल 1249 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें 382.39 एकड़ भूमि सन्निहित है।

वर्ष 2008–09 में कुल 2401 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें 477.78 एकड़ भूमि सन्निहित है।

वर्ष 2009–10 में कुल 1697 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें 355.04 एकड़ भूमि सन्निहित है।

वर्ष 2010–11 में कुल 1088 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें 871.94 एकड़ भूमि सन्निहित है।

वर्ष 2011–12 में कुल 1285 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें 242.34 एकड़ भूमि सन्निहित है।

(रकबा एकड़ में)

वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12	
निष्पादित वादो की संख्या	भूमि का रकबा	निष्पादित वादो की संख्या	भूमि का रकबा	निष्पादित वादो की संख्या	भूमि का रकबा	निष्पादित वादो की संख्या	भूमि का रकबा	निष्पादित वादो की संख्या	भूमि का रकबा	निष्पादित वादो की संख्या	भूमि का रकबा
2258	829.43	1249	382.39	2401	477.78	1697	355.04	1088	871.94	1285	242.34

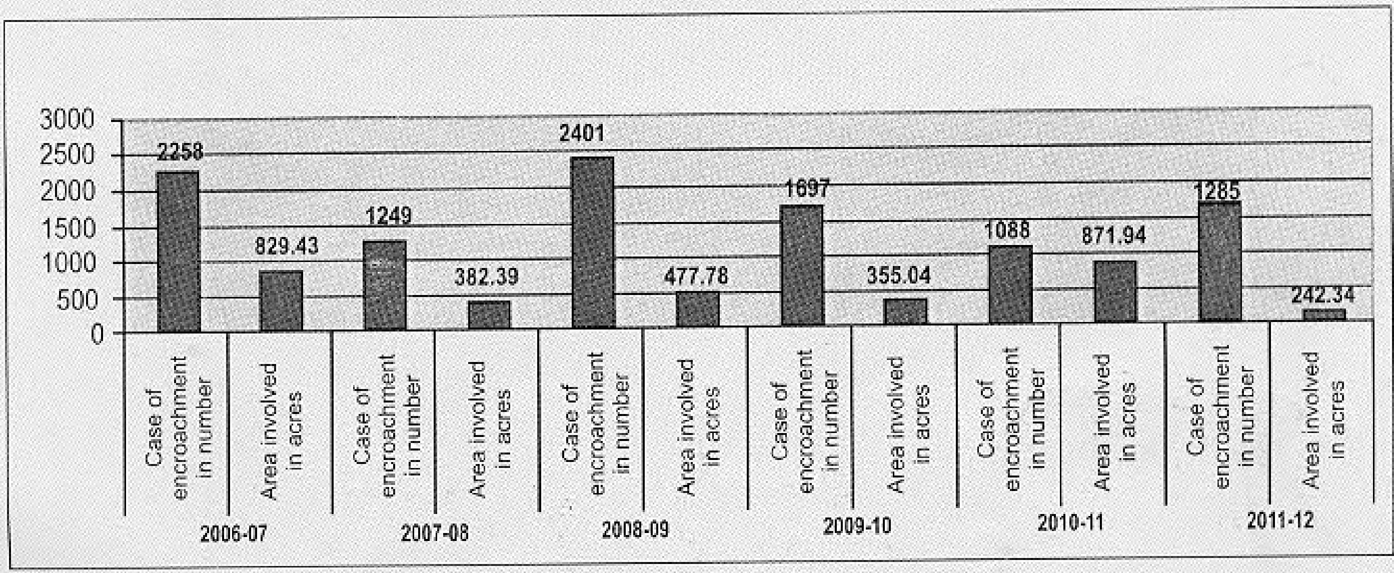

15. बटाईदारी से सम्बंधित मामलों का प्रतिवेदन :

बटाईदारों को अपने अधिकार प्राप्त करने की दिशा में बटाईदारी मामलों का ससमय निष्पादन एक आवश्यक कार्य है।वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 444 मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें कुल 534.24 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2007–08 में कुल 403 मामलों का निष्पादन किया गया ,जिसमें कुल 661.69 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2008–09 में कुल 281 मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें 483.20 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2009–10 में कुल 150 मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें 245.16 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2010–11 में कुल 81 मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें 117.82 एकड़ भूमि सन्निहित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 98 मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें 217.74 एकड़ भूमि सन्निहित है।

बटाईदारी के मामलों का निष्पादन

वर्ष	संख्या	रकबा(एकड़)
2006-07	**444**	**534.24**
2007-08	**403**	**661.69**
2008-09	**281**	**483.20**
2009-10	**150**	**245.16**
2010-11	**81**	**117.82**
2011-12	**98**	**217.74**

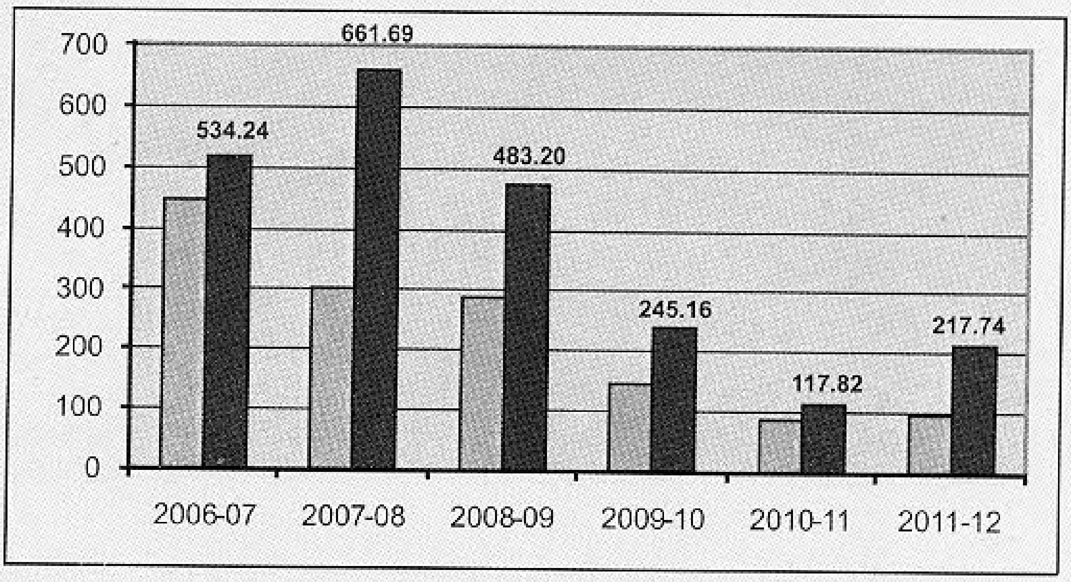

16. निलामपत्र पद :

वर्ष 2006–07 में 40616 निलामपत्रवादों में 148.90 करोड़ रूपया की वसूली की गई। वर्ष 2007–08 में कुल 22773 निलामपत्र वादों में 104.66 करोड़ रू0 की वसूली की गई है ।वर्ष 2008–09 में कुल 106.97 करोड़ रूपये कह वसूली की गई। वर्ष 2009–10 में कुल 69.53 करोड़ रूपये वसूली की गई है। वर्ष 2010–11 (दिसम्बर 10 तक) 49.64 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2011–12 में कुल 5589.18 करोड़ रूपये की वसूली की गई। सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि राशि के आधार पर निलामपत्रवादों को वर्गीकृत करते हुए बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई तेज करें।

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वसूल की गई राशि
2006-07	**148.90**
2007-08	**104.66**
2008-09	**106.97**
2009-10	**69.53**
2010-11	**49.64**
2011-12	**5589.18**

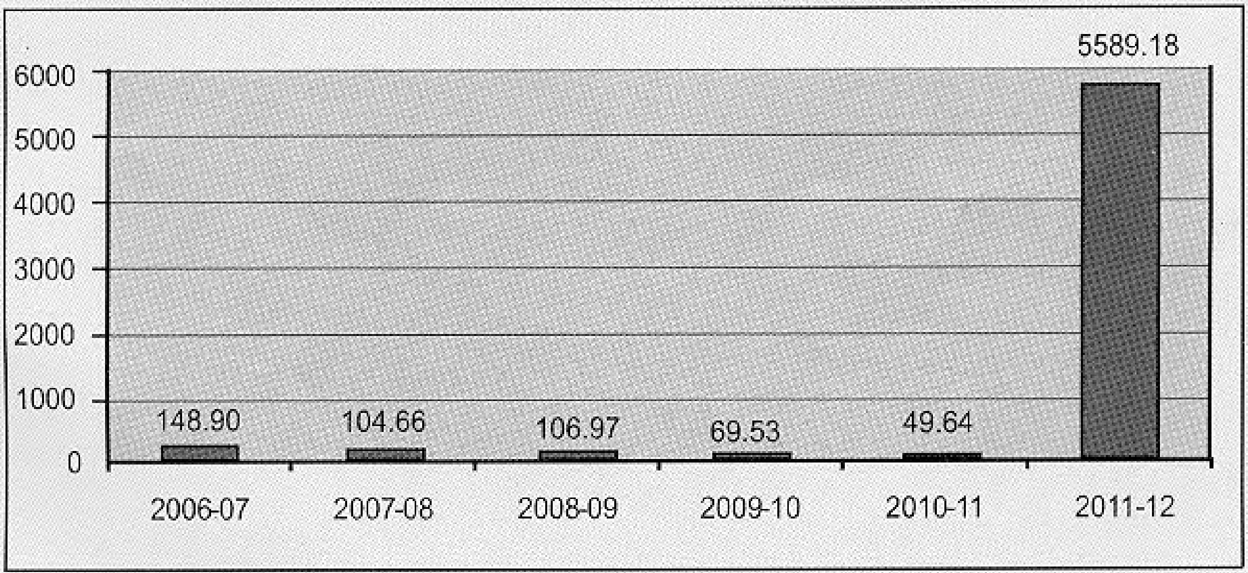

17. चकबंदी :

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वर्ष 2004 से चकबंदी कार्य पुनः आरम्भ किया गया है। वर्त्तमान में राज्य के पाँच जिलों के 39 अंचलों में चकबंदी कार्य सक्रिय तौर पर चलाया जा रहा है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :–

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमराँव	1. मोहनियां	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभुआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. इटाढ़ी	3. चाँद	3. नासरीगंज	
4. बिहिंया	4. सिमरा	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नावानगर	5. दुर्गावती	5. बिक्रमगंज	
6. उदवन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

भौतिक उपलब्धि

योजना का नाम	इकाई	लक्ष्य (वर्ष 2011–12)	उपलब्धि
1	2	3	4
(क) चकबंदी	39 सक्रिय अंचलों में चकबंदी कार्य प्रगति पर है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दो दिनों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।	150 ग्राम को चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य है।	105 ग्राम चकबंदी अधिनियम की धारा26 (क) के अन्तर्गत अनधिसूचित हो चुका है। 25 ग्रामों का चकबंदी अधिनियम की धारा 26 (क) का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है एवं 9 ग्रामों का प्रस्ताव सरकार को भेजने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हो चुका है।

18. भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं बन्दोबस्त कार्य :–

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापी उपयोगिता के मद्देनजर भू–अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण सहित समग्र भूमि प्रबंधन व्यवस्था में इसे समाहित करते हुए एक व्यापक भूमि संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितों की रक्षा की जाती है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विधेयक, 2011 के द्वारा राज्य के समस्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के भू–खंडो का आधुनिक तकनीक से अद्यतन खतियान तथा मानचित्र तैयार किया जाएगा।

राष्ट्रीय भू–अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम (The National Land Records Modernization Programme - NLRMP) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित एवं स्वीकृत योजना है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है।

NLRMP में निम्नलिखित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है :–

(i) भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 100% केन्द्रीय अनुदान पर आधारित योजना है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम किए जाने है :–

(a) डाटा इन्ट्री / री–डाटा इन्ट्री / डाटा कनवर्जन

(b) जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर डाटा केन्द्रों की स्थापना

(c) राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तः सम्बद्धीकरण (Interconnectivity) एवं

(d) सर्वे मानचित्रों की डिजिटाईजेशन।

(ii) आधुनिक तकनीक से रिविजनल सर्वे तथा सर्वे एण्ड सेटलमेंट अभिलेखों का अद्यतीकरण (50–50% मैचिंग ग्रांट पर आधारित)।

(iii) अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार/भू–अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण (50–50% मैचिंग ग्रांट पर आधारित)।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अनुदान/अंशदान के रूप में 3173.12 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है। राज्य योजना मद से भी 3210.83 लाख रूपये उपलब्ध कराए गए है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर के माध्यम से भू–अभिलेखों का संधारण, अद्यतीकरण तथा अद्यतन अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रति आम रैयतों को उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के द्वारा वर्षो पूर्व संधारित भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए इसे सी0डी0 में संधारित किया जायगा क्योंकि हस्तलिखित अभिलेख लगातार इस्तेमाल में लाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे है।

पूर्व में संचालित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विगत साढ़े चार वर्षो में राज्य के कुल 45740 राजस्व ग्रामों में से 21906 राजस्व ग्रामों के डाटा इन्ट्री का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य में कुल

485.93 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

राज्य के 516 अंचलों में कम्प्यूटर के माध्यम से खतियान के संधारण, अद्यतीकरण तथा वितरण के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की राशि 1960.80 लाख रूपये बेलट्रॉन को उपलब्ध कराते हुए हार्डवेयर की आपूर्त्ति, अधिष्ठापन, वायरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक अंचल में एक–एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बेलट्रॉन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में ऑन लाईन दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए डाटा ऑन लाइन करने की योजना है।

सर्वे मानचित्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी अंचल के 1152 सर्वे मानचित्रों को डिजिटाइज्ड किया गया। पुनः दूसरे चरण में भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिले के 14672 सर्वे मानचित्रों को खतियान के डाटा के साथ इंटिग्रेट करने की भी योजना है। उपर्युक्त चार जिले के सभी अंचलों में डिजिटाईजेशन कार्य हेतु सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप सुलभता से राजस्व मानचित्रों की आपूर्त्ति की जा सकेगी। सम्प्रति डिजिटाइज्ड मानचित्रों का मूल मानचित्रों से सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में आय–व्ययक में कुल 3915.27 का बजट उपबंध प्राप्त है।

योजनाएँ	कृत कार्रवाई / प्रस्ताव
1. भू–अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण 38 जिला में	(i) राज्य के समस्त जिलों में यह योजना प्रगति पर है। राज्य के कुल 45740 राजस्व ग्रामों में से 21906 राजस्व ग्रामों का डाटा इन्ट्री कार्य जिला स्तर पर पूरा किया जा चुका है। यह कुल भौतिक उपलब्धि का 46.23% है। (ii) राज्य के सभी अंचलों में इस योजना के अन्तर्गत हार्डवेयर, जेनेरेटर की आपूर्त्ति एंव स्थापना हेतु विभाग द्वारा बेलट्रॉन को नोडेल एजेंसी नियुक्त करते हुए हार्डवेयर की आपूर्त्ति एवं स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। (iii) बेलट्रॉन के द्वारा प्रत्येक अंचल में एक–एक डाटा इन्ट्री आपॅरेटर उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन	निदेशालय स्तर से निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है। प्राप्त केन्द्रीय अनुदान की राशि के व्यय हेतु भारत सरकार से जनवरी 2011 में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। ऐजेंसी चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. विशेषज्ञ समिति का गठन	विभाग द्वारा NLRMP से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व से गठित विशेषज्ञ समिति को पुनर्गठित किया गया है।

4. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर संवेदनशील क्षेत्रों में PPP मॉडल का प्रयोग	वर्त्तमान में जिला स्तर पर डाटा इन्ट्री का कार्य PPP मॉडल के आधार पर किया जा रहा है।
5. तकनीकी सेवाएँ, हार्डवेयर एवं अन्य उपकरणों का क्रय	NLRMP योजना के अन्तर्गत इन कार्यों के लिए बेलट्रॉन की सेवाएँ प्राप्त की जा रही है। राज्य में डाटा इन्ट्री कार्य हेतु NIC द्वारा "भू–अभिलेख–2" सॉफ्टवेयर विकसित कर सभी जिलों का उपलब्ध करा दिया गया है।
6. रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण एवं NLRMP के अन्तर्गत एकीकरण	बिहार राज्य के सभी निबंधन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। डाटा प्रविष्टि के बाद ही वास्तविक रूप में योजना प्रारंभ हो सकेगी।
7. डाटा सिक्यूरिटी	यह योजना के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले Software का inbuilt system होगा।
8. NLRMP से संबंधित योजनाएँ	(i) राज्य के पूर्णियाँ, कटिहार, मोतिहारी, बेतिया तथा गोपालगंज जिले के लिए स्वीकृत।
9. प्राप्त अनुदान एवं व्यय	राज्यांश – 1764.83 लाख केन्द्रांश – 986.25 लाख
10. PMU का गठन	NLRMP के अन्तर्गत निदेशालय को तकनीकी कार्यों में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PMU का गठन किया जा रहा है।
11. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011	राज्य के संपूर्ण ग्रामीण शहरी क्षेत्र के भू–खंड़ो का आधुनिक तकनीक से री–सर्वे करते हुए अद्यतन खतियान तथा मानचित्र तैयार किया जाएगा।
12. NLRMP Cell का गठन	NLRMP के अन्तर्गत तकनीकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पदाधिकारियों / कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में NLRMP सेल का गठन किया जा रहा है।

19. सी0ए0जी का अंकेक्षण :–

वर्ष 2011–12 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए सी0ए0जी0 के लेखा परीक्षा में वर्णित अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन से सम्बंधित विवरणी निम्न प्रकार है :

	कुल कंडिका	लोक लेखा समिति के उपसमिति–1 के निष्पादनार्थ भेजे गये कुल कंडिका	शेष कंडिका
सिविल कंडिका	2	1	1
राजस्व प्राप्ति	12	1	11

20 (क) नए अधिनियम / नियमावली एवं नीतियाँ की अद्यतन स्थिति :–

(i) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 – बिहार गजट में प्रकाशित।

(ii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 – बिहार गजट में प्रकाशित।

(iii) बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोगकर्त्ता का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 – बिहार गजट में प्रकाशित।

(ख) प्रक्रियाधीन अधिनियम /नियमावली

(i) बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली–2011

(ii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त नियमावली–2011

21 (क) नयी नियुक्तियाँ :–

(i) माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 1 / 90 के आधार पर चयनित कुल 170 पदों के अनुशंसा के विरूद्ध अब तक 110 उम्मीदवारों को अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति करते हुए विभिन्न अंचलों में पदस्थापित किया गया है।

(ii) राज्य के सभी जिलों से कोटिवार आरक्षण रोस्टर के अनुसार अमीन के रिक्त पदों पर संकलित कर विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशन कर कुल 312 अमीन का नियोजन संविदा के आधार पर करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।

(iii) संविदा के आधार पर छः कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी।

(iv) बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा–4(1) के अधीन

अध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य प्रशासनिक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2011–12 में की गई है तथा उनके द्वारा पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है। भूमि न्यायाधिकरण को क्रियाशील करने हेतु कार्यालय/पदाधिकारी/कर्मी/वाहन इत्यादि की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(ख) प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ :–

(i) राज्य के सभी जिलों में अमीन के रिक्त पदों पर विज्ञापन के माध्यम से 312 अमीन की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निदेश विभागीय पत्रांक–446(4)रा0, दिनांक–04.11.2011 द्वारा दिया गया है।

(ii) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर एक खिलाडी की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

(iii) पंचायत तथा राजस्व हल्कों को एक समान होने के उपरांत राजस्व कर्मचारी के 4418 पदों का सृजन किया गया है। इस पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा रही है।

22. सूचना का अधिकार / अधिनियम :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अस्तित्व में आने तथा भू विवादों के प्रभावी समाधान के निमित्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

23. बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम :– राज्य में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 अगस्त, 2011 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा (i) दाखिल खारिज (ii) भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र के समय–सीमा के अन्दर निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

24. कृषि गणना :– कृषि गणना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कृषि गणना के आंकड़े विकास कार्यक्रमों के निरूपण एवं उनके प्रगति के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस योजना के तहत कृषि गणना 2010–11 का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

25. मेला प्राधिकार :– चिरवांछित बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में लागू हो गया है । इस अधिनियम के माध्यम से राज्य अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध मेले के सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ–साथ मेले हेतु अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

26. महिला सशक्तीकरण :– सामाजिक रूप रेखा की परिवारिक कड़ी को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि अन्य सम्पत्तियों के साथ भू सम्पत्तियों के स्वामित्व एवं अधिकार में महिलाओं की अहम भूमिका हो उसके लिए खासकर महादलित एवं उपेक्षित वर्ग के परिवारों को सरकारी भूमि बंदोवस्त करने के समय महिलाओं के नाम से पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई आवश्यक है, जिसे अधिनियम तथा परिपत्रों के माध्यम से लागू करने की कार्रवाई की गई है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 का भावी कार्यक्रमों की रूप–रेखा

चकबंदी :–

1. वित्तीय वर्ष 2012–13 में चकबंदी योजनान्तर्गत अनाधिसुचित 150 ग्रामों (Villages) का चकबंदी कार्य पूर्ण कर चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अर्न्तगत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 745 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर करने की कार्रवाई की जा रही है।
2. जिन राजस्व ग्रामों (Villages) का बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के अन्तर्गत सर्वे एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण हो जाता है तथा नक्शा एवं खतियान के उपलब्ध हो जाने पर उन राजस्व ग्रामो में चकबंदी कार्य प्रारम्भ करने की कार्य योजना है।
3. वर्ष 2012–13 में इस योजना के तहत व्यवसायिक एवं अन्य सेवाएँ सहित योजना खर्च हेतु 20.18 करोड़ रूपये का उपबंध रखने का प्रस्ताव है।

भू–अर्जन :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में अधियाची विभाग / प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के भावी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1. अररिया – गलगलिया नई बड़ी रेल लाईन
2. दरभंगा – कुशेश्वर स्थान नई बड़ी रेल लाईन
3. बरियारपुर – मननपुर नई बड़ी रेल लाईन
4. गया – चतरा नई बड़ी रेल लाईन
5. गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ–पटना–समस्तीपुर
6. गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ–सारण–भोजपुर
7. कोशी नदी पर बलुआ धाट गंडौल पुल एवं सम्पर्क पथ निर्माण (सहरसा)

राष्ट्रीय भू–अभिलेखों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernization Programme - NLRMP) :– राज्य के 5 (पाँच) बन्दोबस्त कार्यालय यथा पटना, दरभंगा, भोजपुर, गया एवं भागलपुर को पुर्नगठित करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार तथा मोतिहारी जिले में इस कार्यक्रम के द्वारा भू–अभिलेखों को अद्यतन करने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के 13 जिलों यथा नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सीवान, गोपालगंज, पूर्णियाँ तथा कटिहार में इस कार्यक्रम के द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किए जाएँगे। अद्यतन अभिलेखों के संधारण हेतु उपर्युक्त जिलों के सभी अंचलों में डाटा केन्द्र –सह– आधुनिक अभिलेखागार स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आधुनिक तकनीक से संबंधित कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में एक सेल का गठन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्व से उपलब्ध बन्दोबस्त कार्यालयों को पुर्नगठित करते हुए उपर्युक्त सभी 13 जिलों में बन्दोबस्त कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए समेकित रूप से 12680.69 लाख रूपये का व्यय राज्य योजना मद से अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपर्युक्त जिलों में केन्द्र प्रायोजित योजना छस्त्त्डच के अन्तर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा अद्यतनीकरण एवं अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार के लिए भवन निर्माण कार्य तथा संस्थागत उन्नयन हेतु समेकित रूप से 15572.81 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है।